

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-357/12
संस्थित दिनांक- 05.09.212

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

चंद्रराज सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह यादव उम्र 30 साल
निवासी कनेटा देवची थाना मुंगावली
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 10.01.2018 को घोषित)

- 01-अभियुक्त के विरुद्ध की धारा 279, 337 (दो शीर्ष) भा0दं0वि0 एवं 146/196 मोटर वाहन अधिनियम दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 25.08.2012 को समय 01:00 बजे स्थान कुंवरपुर बस स्टेण्ड सार्वजनिक स्थान पर बोलरो क्रमांक यू0पी0 93 आर0 9511 को बिना बीमा के तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत रजनी व अंजू को टक्कर मार कर उपहति कारित की।
- 02-अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सूरत सिंह आदिवासी दिनांक 25.08.2012 को दोपहर 01 बजे ग्राम कुंवरपुर के बस स्टेण्ड पर हैण्ड पम्प से पानी भरने गया था। सूरत सिंह आदिवासी के साथ उसकी पुत्री रजनी एवं रामस्वरूप की पुत्री अंजू आदिवासी पानी पीने गई थी, पानी पीकर वापिस आने लगी, तो चंदेरी की तरफ से एक जीप क्रमांक यू0पी0 93 आर 9511 का ड्राइवर तेज व लापरवाही से चलाकर आया और रजनी व अंजू को टक्कर मार दी, जिससे अंजू की टोडी व दाहिने घुटने में चोट आई एवं रजनी के सिर में दो जगह चोट एवं कमर में चोट आई। ड्राइवर ने जीप पीछे की और सुल्तान की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जो जमीन पर गिर पडा, मौके पर सुल्तान, उधम सिंह मौजूद थे जिन्होंने घटना देखी। फरियादी सूरत सिंह आदिवासी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त चंद्रराज सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह यादव के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-283/2012 अंतर्गत भा0दं0वि0 की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम 146/196 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण

हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक-20.09.2017 को फरियादी सूरत सिंह आदिवासी एवं रामस्वरूप आदिवासी द्वारा अपनी नाबलिग पुत्री कमशः रजनी व अंजू जो कि प्रकरण में आहत है की ओर से अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2), 320 (4) व 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये, जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा 337 (दो शीर्ष) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 279 भा0द0वि0 एवं 146/196 मोटरयान अधिनियम शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।

04—अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना पूर्व में उसने अपराध करना अस्वीकार किया था तथा पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर अपराध करना स्वीकार किये जाने के पश्चात् अभिलेख पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को अभियुक्त ने स्वीकार किया। अभिलेख पर अभियुक्त के विरुद्ध आई साक्ष्य के संबंध में अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 लिया गया, जिसमें भी अभियुक्त ने अपराध करना स्वीकार किया।

05—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.08.2012 को समय 01:00 बजे स्थान कुवरपुर बस स्टेण्ड सार्वजनिक स्थान पर बोलरो क्रमांक यू0पी0 93 आर0 9511 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापित्त किया ?
2.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बोलरो क्रमांक यू0पी0 93 आर0 9511 को बिना बीमा के चलाया ?
3.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06—प्रकरण में अभियोजन फरियादी सूरत सिंह (अ0सा0-1) व आहत रजनी (अ0सा0-2) व अंजू (अ0सा0-3) के कथन न्यायालय में कराये गये। सूरत सिंह (अ0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को 12:00-01:00 बजे कुंवरपुर बस स्टेण्ड पर लगे हैंडपम्प पर उसकी पुत्री रजनी सहित अंजू पानी पीने गई थी और जब वह वापस आ रही थी, तो चंदेरी की तरफ से एक सफेद रंग की जीप जो तेजी से आ रही थी, ने दोनों लड़कियों को टक्कर मार दी, जिससे टक्कर लगने से अंजू के घुटने व मुंह में व रजनी के कमर व सिर में चोट आई थी, जिसके संबंध में उसने थाने पर प्रदर्श-पी-1 की रिपोर्ट की थी तथा पुलिस ने प्रदर्श-पी-2 का नक्शा मौका बनाया था, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।

07—घटना में आहत रजनी (अ0सा0-2) व अंजू (अ0सा0-3) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन के समर्थन में कथन देते हुये व्यक्त किया कि वह घटना दिनांक को वह बस स्टेण्ड पर लगे हैंडपम्प से पानी पीकर वापस आ रही थी, तो एक जीप ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिससे उन्हें चोट आई थीं। इन दोनों ही साक्षियों ने इस संबंध में हालांकि स्पष्ट नहीं किया कि जीप कौन चला रहा था तथा जीप का नंबर क्या था एवं जीप कैसी चल रही थीं, वही फरियादी सूरज सिंह (अ0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह मौजूद नहीं था उसे बलराम व धीरज ने घटना के बारे में बताया था।

08—अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह तो स्पष्ट होता है कि घटना दिनांक को किसी वाहन ने हैंडपंप पानी पीकर लौटते समय रजनी (अ0सा0-2) व अंजू (अ0सा0-3) को टक्कर मारी थी, परन्तु अभियुक्त के विरुद्ध घटना के संबंध में इस आशय की कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि वास्तव में घटना दिनांक को वाहन क्रमांक यू0पी0 93 आर 9511 को उपेक्षा व उताबलेपन से लोक मार्ग पर चला रहा था तथा उक्त दिनांक को वाहन का बीमा नहीं था।

09—यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में दिनांक 09.5.2013 को विरचित किये गये आरोप के संबंध में पूछे जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था, परन्तु आज दिनांक 10.01.2018 को अभियुक्त ने धारा 294 द0प्र0स0 का आवेदन प्रस्तुत कर अभियुक्त ने स्वयं पर लगे आरोपों को स्वीकार करते हुये

अपराध करना स्वीकार किया है।

10—माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत State of Maharashtra vs Sukhdeo Singh and anr 1992 S.C.C. (C.R.I.) 705 में प्रतिपादित विधि के अनुसार अभियुक्त प्रकरण के किसी भी स्तर पर अपना अपराध स्वीकार कर सकता है। अतः अभियुक्त के द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने दिनांक 25.08.2012 को समय 01:00 बजे स्थान ग्राम कुंवरपुर बस स्टेण्ड सार्वजनिक स्थान पर बोलरो क्रमांक यू0पी0 93 आर0 9511 को बिना बीमा के तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

11— फलतः चंद्रराज सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह यादव के संबंध में भा0द0वि0 की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप उसके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रमाणित होने से उसे भा0द0वि0 की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 दण्डनीय के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।

12— अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अभियुक्त चंद्रराज सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह यादव के द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपना उपर लगे आरोप को स्वीकार करते हुये अपराध करना स्वीकार किया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त चंद्रराज सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह यादव को भा0द0वि0 की धारा 279 के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/— रुपये (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे। इसी प्रक्रम अभियुक्त को मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/— रुपये (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे। उपरोक्त सजायें एक साथ भुगताई जायें।

13—अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की

जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व से न्यायालय के आदेश के पालन में वाहन क्रमांक यू0पी0 93 आर 9511 वास्तविक पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि उपरांत एवं अपील न होने की दशा में निरस्त माना जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)